न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी:– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

द.नं.– 18/2020
सी.सी.एम.एस. : 2020/00188

1. चन्द्रकान्ता पुत्री निकूराम जाति ब्राहमण निवासी 21/23 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

वनाम –प्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट</u> –अप्रार्थी

उपस्थिति:–
1. श्री परविन्द्र बिश्नोई, वकील प्रार्थी
2. श्री राजपैरोकार

–: <u>निर्णय</u> :–

दिनांक : 25.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से संयुक्त खाता में चक 21/23 एनपी के खाता सं. 23/4 मु.नं. 42 प.नं. 181/324 के कि.नं. 1/1 व कि.नं. 10, 11, 15, 16 ता 25 की कुल 3.290है. बारानी भूमि व मु.नं. 48 प.नं. 182/325 के कि.नं. 1 ता 6 की 1.493है. नहरी/बारानी दोनों मुरब्बों की कुल 4.783है. नहरी/बारानी भूमि में 239/4783 यानि 0.239है. नहरी/बारानी भूमि दर्ज हैं। उक्त भूमि प्रार्थीया के पिता निकुराम की मृत्यु के पश्चात विरास्तन आई हैं। उक्त भूमि में विरास्तन इंतकाल दर्ज होते समय गलती से चन्द्रकान्ता की जगह पारिवारिक नाम कान्ता दर्ज हो गया। प्रार्थीया का सही नाम दस्तावेजों में चन्द्रकान्ता पुत्री निकुराम हैं। उक्त नाम को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में कान्ता पुत्री निकूराम को दुरूस्त किया जाकर राही नाम चन्द्रकान्ता पुत्री निकूराम दुरूस्त करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर से जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./जाँच/20/3413 दिनांक 29.12.2020 के अनुसार चक 21/23 एनपी के खाता सं. 23 के प.नं. 181/324 मु.नं. 42 के 3.290है. बारानी प.नं. 182/325 मु.नं. 48 के 1.493है. नहरी/बारानी कुल 4.783है. नहरी बारानी भूमि में से 0.239है. नहरी बारानी भूमि का कान्ता पुत्री निकूराम जाति ब्रहमण साकिन देह खातेदार के नाम रिकार्ड दर्ज हैं। जरये ईन्तकाल सं. 353 दिनांक 14.06.2018 विरास्तन से द्रोपती पत्नी निकूराम, लक्ष्मी, कान्ता, मन्जू, उर्मिला पुत्रीयान निकूराम हर पांच वहिव 1.196है. कौम ब्राहमण साकिन देह दर्ज हैं। मुताबिक दस्तावेज नगरपालिका गजसिंहपुर द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र क्रमांक एसपीएल/01/14/03 दिनांक 04.04.2014 मूल निवास प्रमाण पत्र क्रमांक 3900 दिनांक 16.10.1999 उपखण्ड मजिस्ट्रेट रायसिंहनगर से जारी प्रमाण पत्र में चन्द्रकान्ता नाम हैं। इसी आधार पर कान्ता के स्थान पर चन्द्रकान्ता दर्ज करवाना चाहता हैं। लेकिन राजस्व रिकार्ड में कान्ता दर्ज हैं। जो कि एल आर एक्ट 136 की श्रेणी में नहीं आता हैं।

बहस वकील प्रार्थी की सुनी गयी। वकील [illegible] में कथन किया कि विरास्तन इंतकाल दर्ज होते समय गलती से चन्द्रकान्ता की जगह कान्ता दर्ज हो गया हैं। प्रार्थीया का सही नाम चन्द्रकान्ता [illegible] गजसिंहपुर की ओर से [illegible] किया।

पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] दिनांक 04.04.2014 की चित्र [illegible] जारी वारिस प्रमाण पत्र क्रमांक/एसपीएस/01/14/03 [illegible] पेश की गयी है। जिसमें निकूराम के वारिसान में चन्द्रकान्ता पुत्री अंकित हैं। [illegible] की प्रति क्र.सं. [illegible] तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त रिपोर्ट के साथ प्रेषित नामान्तरकरण की प्रति क्र.सं. [illegible] स्वीकृत दिनांक 14.06.2018 की प्रविष्ठियों के अनुसार निकूराम के फौत होने के पश्चात उनके वारिसान के नाम विरास्तन इंतकाल सरपंच ग्राम पंचायत ठण्डी द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र

अर्पिता
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.25 11:45:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

क्र.सं. 57 दिनांक दिनांक 27.05.2018 के आधार पर दर्ज हुआ हैं। जिसकी फोटोप्रति भी रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुई, हैं जिसमें क्र.सं. 3 पर कान्ता पुत्री निकूराम अंकित हैं। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर ही जमाबंदी में कान्ता नाम दर्ज हुआ हैं। अतः नामान्तरकरण दर्ज करते समय कोई लिपिकीय भूल होनी नहीं पायी जाती हैं। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के सर्मथन में प्रस्तुत दस्तावेज अंकतालिकाओं में पिता का नाम नरेन्द्र कुमार शर्मा हैं। जबकि वांछित अनुतोष निकूराम के वारिस के रूप में मांगा गया हैं। अतः संलग्न दस्तावेजात से यह सिद्ध नहीं होता कि कान्ता व चन्द्रकान्ता एक ही व्यक्ति हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.25 11:45:23 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner